

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

का.आ. 352(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1140 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भाऊराव देवरस सेवा न्याय, सरस्वती कुंज, निराला नगर, लखनऊ-226020 (उ०प्र०) द्वारा लखनऊ, उत्तरप्रदेश में (क) भाऊराव देवरस स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, लखनऊ, जमीन की खरीद, भवन निर्माण तथा साज-सज्जा, वाहनों , उपस्करों, किताबों की खरीद, तथा व्याख्यान हॉल, प्रेक्षागृह, स्टाफ क्वार्टर्स, कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष, लैब, पुस्तकालय, छात्रावास जैसी सुविधाओं वाले स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान को चलाने तथा (ख) भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ, भवन निर्माण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए उपकरणों/उपस्करों की खरीद और प्रशासनिक स्कंध

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए अनुमोदित लागत को 1200.00 लाख रुपए से संशोधित करके 1800.00 लाख रुपए करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) मेडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, 18, कॉलेज रोड, चैन्नई-600006 द्वारा चैन्नई में चलाई जा रही विलिंग्डन अस्पताल को खरीदने तथा चलाने की परियोजना या स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है; तथा

(ख) दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 862 (अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामतः:

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 2 के सामने कॉलम (4) जो लागत की अधिकतम राशि जो धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जानी है, से संबंधित है, इसमें अक्षर, अंक, तथा शब्द “1200.00 लाख रुपए” के स्थान पर अक्षर अंक तथा शब्द “ 1800.00 लाख रुपए” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।